

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 16/2021

हरपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0

..... प्रार्थी

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 09-03-2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम बसई के खाता 46 में रामपाल सिंह व खाता सं. 176 में हरलाल सिंह के स्थान पर हरपाल सिंह दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073-76 खाता सं. 176, 46 ग्राम बसई पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम बसई स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 176 में प्रार्थी का नाम हरलाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह व 46 में प्रार्थी का नाम रामपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह के स्थान पर हरपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बसई स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 176 में प्रार्थी का नाम हरलाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह व 46 में प्रार्थी का नाम रामपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह के स्थान पर हरपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Riy

(राजपाल)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी